न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री के सी लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/301/2018

उनवान

1. कैलाश मुतबन्ना दूदाराम चमार, निवासी लुणा का खेडा, मजरा बराटिया, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. दूदाराम आत्मज लक्ष्मण चमार निवासी लुणा का खेडा मजरा बराटिया, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. भैरू आत्मज लक्ष्मण चमार निवासी लुणा का खेडा, मजरा बराटिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. कल्याण आत्मज लक्ष्मण चमार निवासी लुणा का खेडा मजरा बराटिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा
5. श्रीमति गंगा देवी पत्नि रामदयाल रेगर निवासी परसरामपुरा , तहसील, आगुचा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 150/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.6.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री मेहराज अली, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री रामदयाल जाट ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री आर एस जोशी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 5
4. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय

दिनांक 4.12.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बराटिया पटवार हल्का बराटिया, तहसील हुरडा में आराजी खाता संख्या 125 की आराजी नम्बर 739 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 1048 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 1050 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 1529 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 1535 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 1617 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 1622 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 1702 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 1703 रकबा 2 बीघा, आराजी नम्बर 1714 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 1715 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 2147 रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 2162 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 2171 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 14 कुल रकबा 34 बीघा 09 बिस्वा स्थित होकर राजस्व रेकार्ड में दूदाराम, भैरू, कल्याण के नाम पर अंकित है जिसमें प्रत्येक का 1/3, 1/3 हक हिस्सा निहित है। मौजा बंराटिया पटवार हल्का बंराटिया तहसील हुरडा के आराजी के खाता संख्या 127 की आराजी नम्बर 2333/2111 रकबा 6 बीघा 08 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दूदाराम पिता लक्ष्मण चमार के नाम पर अंकित है। उपरोक्त आराजियात खाता संख्या 125 व खाता संख्या 127 की आराजियात लक्ष्मण पिता कालू चमार के समय की है तथा दूदाराम की आयु करीब 67 वर्ष के होकर वृद्ध हो चुके हैं। जिनकी सेवा चाकरी करने वाला

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एवं वंश चलाने वाला नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को गोद रखा जिसकी समस्त प्रक्रिया अपना कर गोदपुत्र बनाया तथा वादी के हक में गोद–नामा दिनांक 19.12.2008 को तैयार करवाया जाकर पंजीयन कराया गया ।

2. वादी प्रतिवादी संख्या 1 का गोदपुत्र होकर उसी के पास रहता चला आ रहा है और प्रतिवादी संख्या 01 के हक हिस्से की आराजियात पर लगातार उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उपरोक्त कारणों से वादी वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से की आराजियात को अपने नाम पर दर्ज कराने एवं खातेदारी हक की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी को वादग्रस्त आराजियात से बेदखल करना चाहते हैं एवं अन्य को बेचान कर पंजीयकन कराने की धमकी देते है जबकि वादग्रस्त आराजियात मौरूसी होने से प्रतिवादी संख्या 1 को कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः वादग्रस्त आराजियात जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है एवं वादी प्रतिवादी संख्या 1 का गोद पु.त्र है इसलिए वादग्रस्त आराजियात वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की जावे एवं साथ ही वादी के हक में एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजियात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं जबरन बेदखल नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को बेचान नहीं करे। यदि दौराने वाद वादग्रस्त आराजियात को विक्रय कर दे तो आज की स्थिति रेस्टोर की जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना लिखित प्रतिवाद व समुचित रूप से सुनवाई किये बिना ही मात्र कयासी आधार बनाकर वाद पर खारिज कर निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने हिन्दु रीति एवं परंपरा के अनुसार समस्त विधि विधान को पूरा करते हुए अपीलार्थी/वादी को अपना गोदपुत्र स्वीकार किया है और गोद लिया । कानूनी तथा सामाजिक जटिलताओं से बचने के लिए अपने पूर्ण होश हवास में दिनांक 19.12.2008 को उप पंजीयक कार्यालय हुरडा में गवाहों की उपस्थिति में पंजीयन कराया गया तब से लेकर अब तक अपीलार्थी/वादी जो कि प्रत्यर्थी संख्या 1 का गोद पुत्र होने से बतौर गोदपुत्र प्रत्यर्थी संख्या 1 की सेवा–सुश्रुषा कर रहा है उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने में कानूनी एवं वाकियाती भूल की है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि जब एक बार किसी को गोदपुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है और गोदनामा निष्पादित कर दिया जाता है तो गोदपुत्र को प्राकृतिक पुत्र के समान समस्त हक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं । जिसे कानूनन खारिज नहीं किया जा सकता है और गोदपुत्र को विधिक रूप से समस्त अधिकार प्राप्त हो जाते हैं फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त कानूनी बिन्दु को नजर अंदाज करते हुए वाद पत्र खारिज किये जाने में कानूनी भूल की है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 1 का गोदपुत्र है एवं वह प्रत्यर्थी संख्या 1 की सेवा सुश्रुषा करता चला आ रहा है एवं वादग्रस्त आराजियात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजियात स्वअर्जित नहीं होकर विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है। इसलिए एक नैसर्गिक पुत्र के समान गोदपुत्र को भी पुश्तैनी सम्पति में विरसत से हक एवं अधिकार प्राप्त होते हैं। इस कारण अपीलार्थी खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है, जो खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकियात कायम नहीं की एवं न ही कोई साक्ष्य ही दर्ज की गई । वाद पत्र प्रारंभिक अवस्था में होकर विचारण किया जा रहा था प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी विचाराधीन था। उस पर कोई निर्णय नहीं किया गया । मात्र कयासी आधार पर अतिम बहस सुने बगैर ही वाद पत्र बिना साक्ष्य के निर्णित कर वाद पत्र खारिज कर दिया गया जो निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायाल द्वारा विधिक प्रकिया का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया । राजस्व न्यायालय भी गोद के तथ्यों पर विचारण कर सकता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कयासी आधार बनाकर एवं अपीलार्थी की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अनुपस्थिति में लोक अदालत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर वाद पत्र खारिज किया है जबकि लोक अदालत में उन्हीं प्रकरण का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हुआ हो। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजीनामा के आधार पर पारित की है जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी को गोदपुत्र नहीं रखने एवं गोदनामे को निरस्त कराने हेतु सिविल न्यायालय गुलाबपुरा में वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, गुलाबपुरा द्वारा दिनांक 8.1.2019 को खारिज कर दिया गया है। प्रत्यर्थी संख्या करीब 67–68 वर्ष का गरीब काश्तकार है जिसे भू माफियाओं ने बहला फुसला कर वादग्रस्त आराजियात को हथियाने के आशय से तथाकथित गलत तथ्य पेश करवा कर पिता पुत्र में वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं जिससे अपीलार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

12. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि जायन्दा पुत्र एवं पुत्री भी पिता के जीवित रहते हुए विधि अनुसार खातेदारी घोषणा की डिक्री प्राप्त नहीं कर सकता है। वादग्रस्त आराजियात पर अपीलार्थी का कभी भी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। इसलिए अपीलार्थी को बेदखल करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 वृद्ध होकर सीनियर सिटीजन है। प्रत्यर्थी संख्या 1 अपनी पुत्रियों के पास रहता है तथा पुत्रियॉ ही प्रत्यर्थी संख्या 1 की सेवा सुश्रुषा कर रही है। अपीलार्थी/वादी ने तथ्यों को छिपाते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 की पुत्रियों को पक्षकार संयोजित नही किया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/वादी ने वाद पत्र तथ्यों को छिपाते हुए स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलार्थी/वादी ने वादग्रस्त आराजी नम्बर 2333/2111 रकबा 6 बीघा 08 बिस्वा को वाद पत्र में पुश्तैनी अंकित किया है जबकि वादग्रस्त आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटित होकर स्वअर्जित आराजी है जिसे प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आवश्यकता होने से प्रत्यर्थी संख्या 5 को विक्रय किया है। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, गुलाबपुरा द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के वाद को खारिज किया है वह अन्य कारणों से खारिज किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

14. प्रत्यर्थी सख्या 5 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 ने प्रत्यर्थी संख्या 1 की स्वअर्जित आराजी नम्बर 2333/2111 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी नहीं होकर प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटित होकर स्वअर्जित आराजी थी। जिसे प्रतिफल अदा करने के उपरान्त क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। अपीलार्थी/वादी ने तथ्यों को छिपाते हुए वादग्रस्त आराजी नम्बर 2333/2111 रकबा 6 बीघा 08 बिस्वा को पुश्तैनी होना अंकित किया है। अपीलार्थी/वादी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 की पुत्रियों को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलार्थी/वादी ने तथ्यों को छिपाकर वाद पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी/वादी का वाद अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण खारिज किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

15. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

थी जिसमें अपीलार्थी / वादी जो कि गोदपुत्र होने से प्रत्यर्थी संख्या 1 की आराजियात का अपीलार्थी / वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। साथ ही निवेदन किया कि अपीलार्थी / वादी को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी विचाराधीन था जिस पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया । प्रकरण को बिना उभयपक्ष के मध्य राजीनामे के बावजूद लोक अदालत में निस्तारित किया गया है। जबकि लोक अदालत में उभयपक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहे इसलिए उभयपक्ष की सहमति होने पर ही प्रकरण को निस्तारित किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दिनांक 23.4.2014 को प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 23.6.2014 को प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश पारीक ने अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की एवं अधिकार पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया । प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 10.11.2014 को प्रत्यर्थी संख्या 4 राजकीय पक्ष की ओर से निवेदन किया गया कि प्रकरण में राजहित निहित नहीं होने से जवाब दावे की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिकार पत्र एवं जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रति वादी के अधिवक्ता को दिलाई गई। उसके बाद प्रकरण तनकियात कायमी में नियत किया गया । दिनांक 4.10.2016 को अधिवक्ता श्री रामस्वरूप जोशी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का प्रार्थना पत्र श्रीमती गंगादेवी की ओर से प्रस्तुत किया गया एवं उसके साथ दस्तावेज पेश किये गये। उसके उपरान्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रकरण जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी में दिनांक 21.11.2016 हेतु नियत किया गया । उसके उपरान्त प्रकरण जवाब प्रार्थना पत्र में विचाराधीन रहा तथा दिनांक 27.6.2018 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट बंराटिया पर रखा गया । जिस में उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए । उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा बहस पर सहमति व्यक्त करने पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

16. अपीलार्थी का यह कथन कि उसे सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया उचित प्रतीत नहीं होता है। जहॉ तक अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी पर कोई विचारण नहीं किया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया जिसमें पेरा नम्बर 13 में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का अंकन किया जाकर अपीलाधीन निर्णय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप गंगादेवी पत्नि रामदयाल जाट को प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में संयोजित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह कथन कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 पर कोई विचारण नहीं किया गया उचित प्रतीत नहीं होता है।

17. अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में आराजी नम्बर 2333/2111 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा को प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी होना बताया है जबकि उक्त आराजी प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटन होना एवं उसके उपरान्त प्रत्यर्थी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त होना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी (खेवट खतौनी) संवत 2032 से 2036 की फोटो प्रति से साबित होता है। इस प्रकार अपीलार्थी/वादी द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वाद पत्र में गलत तथ्य अंकित किया जाना प्रमाणित होता है। प्रत्यर्थी संख्या 5 के अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी/वादी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 की पुत्रियों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है । इस प्रकार अपीलार्थी/वादी ने स्वच्छ हाथों से वाद पत्र प्रस्तुत नहीं कर न्यायालय को धोखे में रखा है। अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य का कोई खण्डन नहीं किया है अथवा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह तथ्य प्रमाणित हो कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के कोई पुत्री नहीं हो। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 का भी यह कथन रहा है कि अपीलार्थी/वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 का गोद पुत्र है परन्तु वह उसकी सेवा सुश्रुषा नहीं करता है एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 अपनी पुत्रियों के पास रहता है एवं उसकी सेवा सुश्रुषा उसकी पुत्रियॉ कर रही है। इसका भी कोई खण्डन अपीलार्थी/वादी द्वारा नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/वादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है एवं उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरान्त प्रकरण का मेरिट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण यद्यपि लोक अदालत कैम्प बराटिया में निस्तारित किया गया हे परन्तु लोक अदालत की भावना से राजीनामे से प्रकरण का निस्तारण नहीं कर मेरिट पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनने के उपरान्त निस्तारण किया गया है। अपीलार्थी/वादी अपने कथनों को पर्याप्त साक्ष्य सबूत से साबित कराने मे असफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

18. अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

डिक्री दिनांक 27.6.2018 को यथावत रखा जाता है । पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

19. निर्णय आज दिनांक 4.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री के सी लखारा ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/301/2018

उनवान

1. कैलाश मुतबन्ना दूदाराम चमार, निवासी लुणा का खेडा, मजरा बराटिया, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. दूदाराम आत्मज लक्ष्मण चमार निवासी लुणा का खेडा मजरा बराटिया, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. भैरू आत्मज लक्ष्मण चमार निवासी लुणा का खेडा, मजरा बराटिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. कल्याण आत्मज लक्ष्मण चमार निवासी लुणा का खेडा मजरा बराटिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा
5. श्रीमति गंगा देवी पत्नि रामदयाल रेगर निवासी परसरामपुरा , तहसील, आगुचा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के
प्रकरण संख्या150/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.6.2018
अपील में डिक्री
(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/301/2018** मे **उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 4.12.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री मेहराज अली वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से श्री रामदयाल जाट एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से श्री आर एस जोशी, तथा राजकीय अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश सोनी की उपस्थिति मे दिनांक 4.12.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है किः–

अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.6.2018 को यथावत रखा जाता है ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 4.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से 48 डिक्री जारी की जाती है।

(के सी लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी परीक्षेत्र एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस